

संख्या: 2-4/2022 ई0एक्स0एन0एच0स्थापना-
आबकारी एवं कराधान विभाग
हिमाचल प्रदेश।

दिनांक: शिमला-171009

2022

कार्यालय आदेश

अतिरिक्त मुख्य सचिव (कार्मिक) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या: पीईआर(एपी)सी-बी(2)-1/2014
वाल्यू-II दिनांक 28.12.2021 की अनुपालना में विभागीय जांच समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित दैनिक
वेतन भोगी कर्मचारियों को जिन्होंने दिनांक 30.09.2021 को दैनिक वेतन भोगी आधार पर चार (04) वर्ष का सेवाकाल
पूर्ण कर लिया है, को निम्नवर्णित नियम व शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित करने के आधार पर सम्बन्धित कार्यालय के
सक्षम अधिकारी के समक्ष उपस्थिति सूचना प्रस्तुत करने की तिथि से वेतनमान रू0 4900-10680 +1300 ग्रेड पे के
अन्तर्गत न्यूनतम वेतन रू0 6200 (4900+1300 ग्रेड पे व अन्य देय भत्ते) Revised as per HPCS (RP)Rules 2022, Level-
I on regular basis में चौकीदार के पद पर नियमित किया जाता है:-

क्र0 सं0	कर्मचारी का नाम	कर्मचारी का पता	कर्मचारी की जन्म तिथि	दैनिक वेतन भोगी आधार पर नियुक्ति की तिथि	कर्मचारी वर्तमान में जहां कार्यरत है	नियमितिकरण उपरान्त तैनाती का स्थान
1.	श्री जगदीप कुमार	पुत्र श्री राज मल, गांव व डाकघर सकड़ी खास तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा।	06.04.1973	15.06.2017	कार्यालय सहायक आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी, बैजनाथ वृत, जिला कांगड़ा	कार्यालय संयुक्त आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी, (उ0द0)(उ0क्ष0) पालमपुर, जिला कांगड़ा।

दैनिक वेतन भोगी से नियमित किये गये उपरोक्त चौकीदार के सन्दर्भ में निम्न नियम व शर्तें लागू होंगी:-

1. चौकीदार के पद पर यह नियुक्ति अस्थाई है।
2. यद्यपि उक्त कर्मचारी का नियमतीकरण चौकीदार के रिक्त पद के विरुद्ध किया जा रहा है तथापि विभाग की आवश्यकताओं के अनुरूप उन्हें चतुर्थ श्रेणी के अन्य कार्यों के निष्पादन हेतु भी तैनात किया जा सकता है।
3. कर्मचारी को सरकारी सेवा से एक माह के नोटिस पर बिना कोई कारण बताये पदच्युत किया जा सकता है। यह नोटिस सरकार तथा कर्मचारी किसी भी पक्ष द्वारा दिया जा सकता है।
4. नियुक्ति करने वाले प्रधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह उसकी सेवाओं को एक मास का वेतन भत्तों के समान राशि देकर भी समाप्त कर सकता है।
5. कर्मचारी को दो वर्षों की परिवीक्षा अवधि पूर्ण करनी होगी।
6. कर्मचारी को यह शपथ ग्रहण करनी होगी कि वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूर्ण निष्पक्षता व ईमानदारी से करेगा तथा भारतीय संविधान के प्रति सत्यनिष्ठ रहेगा।
7. कर्मचारी की नियुक्ति हिमाचल प्रदेश के किसी भी स्थान पर की जा सकती है।
8. कर्मचारी को शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र मूल रूप में उपस्थिति सूचना के साथ प्रस्तुत करने होंगे।
9. कर्मचारी यह प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करेगा कि यदि वह विवाहित है तो उसकी केवल एक ही पत्नी/पति है।
10. कर्मचारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधिकारी से अपनी स्वस्थता संबंधि चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा तथा तदोपरान्त ही उनकी उपस्थिति ली जाएगी।
11. कर्मचारी की नियुक्ति संबंधित पुलिस अधीक्षक द्वारा उनके चरित्र एवं पूर्ववृत के सत्यापन पर निर्भर करेगी।

12. कर्मचारी किन्ही दो राजपत्रित अधिकारियों से जो उन्हे लगभग तीन वर्ष से जानते हों से अपने अच्छे चाल चलन का प्रमाण पत्र उपस्थिति के समय प्रस्तुत करेंगे।
13. यदि कर्मचारी आरक्षित वर्ग से सम्बन्ध रखता है तो वह इस आशय का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नवीनतम प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा

यदि उपरोक्त नियुक्ति प्रस्ताव उम्मीदवार को स्वीकार्य हो तो उसे इस आदेश के जारी होने के पश्चात् 10 दिनों के भीतर-2 अपनी उपस्थिति सूचना उपरोक्त तालिका में उम्मीदवार के नाम के विरुद्ध दर्शाए गए कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।

यूनुस(भा0प्र0से0)

आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी,
हिमाचल प्रदेश।

दूरभाष न0-2621835

02-04-2022

पृष्ठांकन संख्या:2-4/2022 ई0एक्स0एन0एच-स्थापना-11494-503
प्रतिलिपि:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव (कार्मिक) को उनके पत्र संख्या: पीईआर(एपी)सी-बी(2)-1/2014 वॉल्यू-II दिनांक 28.12.2021 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।
2. प्रधान सचिव (राज्य कर एवं आबकारी) हि0 प्र0 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) शिमला-03 को सूचनार्थ प्रेषित है।
4. संयुक्त आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी,(उ0द0)(उ0क्ष0) पालमपुर, जिला कांगड़ा स्थित धर्मशाला को सूचनार्थ प्रेषित है।
5. उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी, जिला कांगड़ा स्थित धर्मशाला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है।
6. सहायक आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी, बैजनाथ वृत, जिला कांगड़ा को सूचनार्थ प्रेषित है।
7. मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधिकारी जिला कांगड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित है।
8. श्री जगदीप कुमार, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, कार्यालय सहायक आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी, बैजनाथ वृत, जिला कांगड़ा को अनुपालना हेतु प्रेषित है।
9. आई0टी0 शाखा को इस आशय के साथ प्रेषित है कि यह कार्यालय आदेश शीघ्र विभागीय साईट पर अपलोड किया जाए।
10. गार्ड फाईल।

यूनुस(भा0प्र0से0)

आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी,
हिमाचल प्रदेश।

दूरभाष न0-2621835